# :: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | **श्रीमती दीपा गुर्जर, आर.जे.एस.**<br>**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)** |
| विविध आपराधिक प्रकरण संख्या | : | 260/2026 (CIS N. 260/2026) |
| **CNR N.** | : | RJDG010004682026 |

**रिजवान उर्फ रिज्जु पिता सलीम मोहम्मद** उम्र 23 वर्ष निवासी म.नं. 36 सेक्टर 9 कृष्णा कॉलोनी पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर (राज.)। **––प्रार्थी/अभियुक्त––**

**बनाम**

राजस्थान राज्य। **––अप्रार्थी/अभियोजन––**

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–15/2026, पुलिस थाना कोतवाली डूँगरपुर, अपराध अन्तर्गत धारा **331(3) 305ए, 112(2), 3(5)** भारतीय न्याय संहिता।

**उपस्थित :–**

1. श्री राहुल भट्ट, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

**:: आदेश ::** **दिनांक :–30.05.2026**

**1.** प्रार्थी/अभियुक्त **रिजवान उर्फ रिज्जु** की ओर से यह जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलायी गयी। केस डायरी तलब की गयी।

**2.** प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2026 को परिवादी हरीशचन्द्र पिता हरिराम निवासी रघुनाथपुरा हाल मकान नं. 5/32 सेक्टर 05 डूँगरपुर ने पुलिस थाना कोतवाली डूँगरपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि, "वह परिवार सहित 15–16 साल से निवासरत डूँगरपुर में ही है। वह दिनांक 24.12.2025 को आंख का ऑपरेशन के लिए उदयपुर गया था। उसकी पत्नी व बच्चे उसी रोज गाँव गये थे। वह इलाज करवाकर दिनांक 26.12.2025 को दिन में डूँगरपुर आया व आज ही गांव से पत्नी व बच्चे आये। वह उदयपुर से आकर मकान पर आया और देखा कि एक कमरे का जिसमें वे रहते है उस कमरे का दिनांक 24.12.2025 से 26.12.2025 तक के बीच में कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मकान का ताला तोड़कर अन्दर प्रवेश हो आलमारी बंद थी जिसको तोड़ कर अन्दर रखे जेवरात मंगलसुत्र

Authenticated Document

सोने का एक, सोने की चैन एक, जवले चांदी के 5 नंग, पोधी ब्रेसलेट पालिस किया हुआ, चांदी का कड़ा व रोकड़ केश 15,000/–रुपये उक्त सामग्री अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गये है.....इत्यादि।"

**3.** उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली डूँगरपुर द्वारा मुकदमा नंबर–15/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305 ए भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 07.05.2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा खारीज किया गया।

**4.** बहस उभय पक्ष सुनी गयी एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

**5.** दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे आपसी वैमनस्यता के कारण झूंठा फंसाया गया है। उसका उक्त प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। उससे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं की है। वह अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है यदि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसके परिवार के सदस्य भूखे मर जायेंगे। उसके खिलाफ ऐसा आरोप नहीं है जिसमें मृत्यु दण्ड की सजा के प्रावधान हो। उसके कहीं भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है। वह पूर्व सजायाब्ता या भगोड़ा नहीं है। वह जमानत पर रिहा होने पर गवाहान आदि को टेम्परिंग नहीं करने का विश्वास दिलाता है। वह जमानत पर रिहा होने पर माननीय न्यायालय की शर्तों की पालना करने तत्पर रहेगा। वह दिनांक 07.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाब नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

**6.** इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी के मकान से जेवरात मंगलसुत्र सोने का एक, सोने की चैन एक, जवले चांदी के 5 नंग, पोधी ब्रेसलेट पालिस किया हुआ, चांदी का कड़ा, रोकड़ केश 15,000/–रुपये को चुरा लेने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कई प्रकरण दर्ज है जिनमें से दो प्रकरण लूट व डकैती से संबंधित है। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

**7.** मैंने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाकर परिवादी हरीशचन्द्र के मकान में गृह–अतिचार या गृह–भेदन कर सोने–चांदी के जेवरात व रुपयों की चोरी करने का धारा 331(3), 305 ए, 112(2), 3(5)भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा निम्न प्रकरण दर्ज होना बताया गया है :–

Authenticated Document

| क्रं. सं. | एफ.आई.आर. नंबर | धारा | पुलिस थाना | गिरफ्तारी दिनांक | जमानत पर रिहा होने की दिनांक | न्यायालय का नाम | केस नंबर | वर्तमान स्टेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106/2024 | 4/25 आर्म्स एक्ट | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 2. | 517/2023 | 392 I.P.C. | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 3. | 136/2023 | 325, 365, 394, 395, 149 I.P.C. | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 4. | 449/2022 | 4/25 आर्म्स एक्ट | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 5. | 462/2022 | 147, 148, 307, 324, 149 I.P.C. व 3/25 आर्म्स एक्ट | सुरजपोल उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 6. | 231/2022 | 4/25 आर्म्स एक्ट | हिरण मगरी उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 7. | 86/2021 | 307, 324 I.P.C. व धारा 3(2)(वीए)S.C./S.T. ACT | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 8. | 276/2022 | 365, 323, 34 I.P.C. | भुपालपुरा उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 9. | 403/2020 | 307, 341, 323, 147, 148, 149, 324 I.P.C. | सुखेर उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 10. | 401/2021 | 4/25 आर्म्स एक्ट | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 11. | 11/2022 | 4/25 आर्म्स एक्ट | सवीना उदयपुर | – | – | – | – | – |
| 12. | 103/2015 | 13(1)(2) राजस्थान पर्यटन अधिनियम | पर्यटन थाना उदयपुर | – | – | – | – | – |

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में 12 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया गया है जिनमें लूट व डकैती जैसे अपराध से संबंधित दो प्रकरण भी दर्ज है। यदि उसे जमानत की सुविधा जाती है तो उसके पुनः आपराधिक कृत्यों में

Authenticated Document

सम्मिलित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्रकरण अभी अनुसंधान की स्टेज पर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्क विचारण का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर मामले के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों, वर्तमान में बढ़ रही चोरी/लूट की वारदातों एवं प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक आचरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

**:: आदेश ::**

**8.** परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रिजवान उर्फ रिज्जु** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। ––sd––

**(दीपा गुर्जर)**
**सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)**

आदेश आज दिनांक 30.05.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया। ––sd––

**(दीपा गुर्जर)**
**सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)**

OM PRAKASH FALEJA

P.A. CUM E.A "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.05.30 14:39:06 +0530

Authenticated Document